

भारत सरकार  
पर्यटन मंत्रालय  
राज्य सभा  
लिखित प्रश्न सं. 621  
गुरुवार, 4 दिसम्बर, 2025/13 अग्रहायण, 1947 (शक)  
को दिया जाने वाला उत्तर

### केरल में पर्यटन परिपथ

#### 621 श्री जोस के. मणि:

- क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन अथवा प्रसाद योजनाओं के अन्तर्गत केरल में नये पर्यटन परिपथों की पहचान की है;
- (ख) राज्य में ईको-टूरिज्म एवं सांस्कृतिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु कौन-कौन से उपाय किए जा रहे हैं; और
- (ग) मंत्रालय स्थानीय पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के सामने कोविड-उपरांत उत्पन्न चुनौतियों का किस प्रकार समाधान कर रहा है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) और (ख): पर्यटन मंत्रालय 'स्वदेश दर्शन' और 'तीर्थस्थल कायाकल्प एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान' (प्रशाद) नामक अपनी वर्तमान में चल रही योजनाओं के माध्यम से केरल सहित देश में पर्यटन संबंधी अवसरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके प्रयासों को संपूरित करता है।

स्वदेश दर्शन योजना के तहत, पर्यटन मंत्रालय ने केरल में ईको-परिपथ, आध्यात्मिक परिपथ और ग्रामीण परिपथ जैसे विभिन्न विषयों के तहत कुल 312.47 करोड़ रु. की लागत की पांच परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

स्थायी और उत्तरदायी पर्यटन स्थलों को विकसित करने के उद्देश्य से स्वदेश दर्शन योजना को 'स्वदेश दर्शन 2.0' (एसडी 2.0) के नाम से नया रूप दिया गया है। अब तक, पर्यटन मंत्रालय द्वारा केरल में एसडी 2.0 के तहत कुल 182.85 करोड़ रु. की लागत की तीन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

इसके अलावा, पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत 'चुनौती आधारित गंतव्य विकास' नामक एक उप-योजना के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस उप-योजना का उद्देश्य हमारे पर्यटन

स्थलों को स्थायी और उत्तरदायी गंतव्यों के रूप में परिवर्तित करने के लिए सभी पर्यटक वैल्यू चेन में पर्यटक अनुभव को बेहतर बनाने हेतु गंतव्यों का समग्र विकास करना है। इस उप-योजना के तहत, पर्यटन मंत्रालय ने केरल में संस्कृति एवं विरासत और आध्यात्मिक पर्यटन जैसी श्रेणियों के तहत कुल 49.99 करोड़ रु. की लागत की दो परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

पर्यटन मंत्रालय ने प्रशाद योजना के तहत केरल में पर्यटन स्थल पर ही पर्यटकों के आध्यात्मिक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए 45.19 करोड़ रु. की लागत की एक परियोजना को मंजूरी दी है।

भारत सरकार ने वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों के विकास के लिए पूँजी निवेश हेतु राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों (एसएएससीआई) को विशेष सहायता के लिए जारी दिशानिर्देशों के तहत केरल में परिस्थितिकी पर्यटन और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुल 155.05 करोड़ रु. की लागत की दो परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

प्रशाद और स्वदेश दर्शन योजना के तहत पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

इसके अलावा, पर्यटन मंत्रालय, अपने सतत प्रयासों के तहत केरल में इको-पर्यटन और सांस्कृतिक पर्यटन सहित देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों और उत्पादों का कार्यक्रमों, वेबसाइट, सोशल मीडिया प्रचार, मेलों और महोत्सवों आदि जैसे प्रचार संबंधी कार्यकलापों के माध्यम से संवर्धन करता है।

(ग): पर्यटन क्षेत्र के समक्ष कोविड-उपरांत उत्पन्न चुनौतियों के समाधान हेतु सरकार द्वारा घोषित विभिन्न उपायों का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

\*\*\*\*\*

श्री जोस के. मणि द्वारा केरल में पर्यटन परिपथ के संबंध में दिनांक 04.12.2025 को पूछे जाने वाले राज्य सभा के लिखित प्रश्न संख्या 621 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में विवरण

केरल में प्रशाद योजना के अंतर्गत परियोजनाओं की सूची:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत लागत (करोड़ रु. में)
i.	गुरुवायूर मंटिर में विकास	45.19

केरल में स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत परियोजनाओं की सूची:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत लागत (करोड़ रु. में)
i.	पथनमथिट्टा-गवी- वागामोन - तेककड़ी का विकास	64.08
ii.	सबरीमाला - एरुमेली - पम्पा - सन्निधानम का विकास	46.54
iii.	श्रीपद्मनाभ अर्नामूला का विकास	78.08
iv.	मालानाड मालाबार क्रूज पर्यटन परियोजना का विकास	57.35
v.	शिवगिरी श्री नारायण गुरु आश्रम - अरुवीपुरम - कुन्नुमपारा श्री सुब्रह्मनिया - चेम्बड़िंथी श्री नारायण गुरुकुलम का विकास	66.42
	<b>कुल स्वीकृत लागत</b>	<b>312.47</b>

केरल में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत परियोजनाओं की सूची:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत लागत (करोड़ रु. में)
i.	कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य एक्सपीरियंस, कुमारकोम	13.81
ii.	मलमपुङ्गा गार्डन और लीजर पार्क में पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाना	75.87
iii.	अलप्पुङ्गा: ए ग्लोबल वॉटर वंडरलैंड	93.17
	<b>कुल स्वीकृत लागत</b>	<b>182.85</b>

केरल में चुनौती आधारित गंतव्य विकास (सीबीडीडी) योजना के तहत परियोजनाओं की सूची:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत लागत (करोड़ रु. में)
i.	वर्कला-दक्षिण काशी	24.99
ii.	थालास्सेरी:आध्यात्मिक जुड़ाव	25.00
	<b>कुल स्वीकृत लागत</b>	<b>49.99</b>

केरल में पूँजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई योजना) के तहत परियोजनाओं की सूची:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत लागत (करोड़ रु. में)
i.	कोल्लम में अष्टमुडी जैव विविधता और इको मनोरंजन केंद्र	59.71
ii.	सरगालया: मालाबार के सांस्कृतिक क्रूसिबल का ग्लोबल गेटवे	95.34
<b>कुल स्वीकृत लागत</b>		<b>155.05</b>

\*\*\*\*\*

श्री जोस के. मणि द्वारा केरल में पर्यटन परिपथ के संबंध में दिनांक 04.12.2025 को पूछे जाने वाले राज्य सभा के लिखित प्रश्न संख्या 621 के भाग (ग) के उत्तर में विवरण

### भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के लिए घोषित किए गए राहत उपाय

कोविड के पश्चात् देश के पर्यटन क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए सरकार द्वारा घोषित विभिन्न राहत उपाय निम्नानुसार हैं:

- i. सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की जिसके माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का संपार्शिक मुक्त स्वचालित ऋण उपलब्ध कराया गया है। ऋण की अवधि 4 साल की होगी और 12 महीने की ऋण-स्थगन अवधि होगी।
- ii. आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत, तीन महीने के लिए ईपीएफओ द्वारा कवर किए गए सभी प्रतिष्ठानों के लिए नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के भविष्य निधि योगदान को प्रत्येक के लिए मौजूदा 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है।
- iii. पांच करोड़ रुपये तक की कंपनियों के लिए बिना किसी दंडात्मक ब्याज के रिटर्न फाइलिंग तीन महीने के लिए आस्थगित, बाकी के लिए @9 प्रतिशत दंडात्मक ब्याज के साथ।
- iv. सरकार ने 100 से कम कार्मिकों वाले और जिनके 90% कर्मचारियों की आय 15000 रुपये से कम वाले संगठनों के लिए भविष्य निधि योगदान को तीन महीने के लिए माफ कर दिया।
- v. अक्टूबर 2020 तक स्रोत पर एकत्रित कर (टीसीएस) का आस्थगन।
- vi. केंद्र सरकार ने व्यापार निरंतरता और अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 संकट को ध्यान में रखते हुए, अलग-अलग अवधि के लिए आयकर अधिनियम, कंपनी अधिनियम और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम के तहत विभिन्न नियामक अनुपालनों से राहत प्रदान की है।
- vii. पात्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और व्यावसायिक उद्यमों को उनकी परिचालन देनदारियों को पूरा करने और अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने में सहायता करने के लिए मई, 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) शुरू की गई थी। इस योजना के तहत पात्र कर्जदारों को योजना के तहत उनके द्वारा दिए गए ऋणों के लिए ऋण देने वाली संस्थाओं को 100% क्रेडिट गारंटी दी जाती है। योजना के तहत स्वीकार्य गारंटी सीमा को 4.5 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिसमें 50,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त गारंटी कवर नागर विमानन

क्षेत्र सहित आतिथ्य और संबंधित उद्यमों के लिए विशेष रूप से निर्धारित है। नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) से प्राप्त जानकारी के अनुसार यात्रा, पर्यटन, होटल, रेस्तरां आदि को जारी की गई गारंटी की संख्या और गारंटी की ऋणराशि का विवरण निम्नानुसार है:

आतिथ्य और संबंधित उद्यम क्षेत्र के दिनांक 03.03.2023 तक के ईसीएलजीएस संबंधी आंकड़े

ईसीएलजीएस - यात्रा और पर्यटन से संबंधित आंकड़े		
योजना का प्रकार	जारी गारंटी की संख्या	गारंटी ऋण राशि (करोड़ रु. में)
ईसीएलजीएस 3.0	2955	1938.46
ईसीएलजीएस 3.0 विस्तार	809	521.60
<b>कुल</b>	<b>3764</b>	<b>2460.06</b>
ईसीएलजीएस - होटल, रेस्तरां आदि से संबंधित 3 मार्च 2023 तक के आंकड़े		
योजना का प्रकार	जारी गारंटी की संख्या	गारंटी ऋण राशि (करोड़ रु. में)
ईसीएलजीएस 3.0	3757	6883.82
ईसीएलजीएस 3.0 विस्तार	1920	3016.33
ईसीएलजीएस 2.0	219	3437.11
ईसीएलजीएस 2.0 विस्तार	4	34.47
ईसीएलजीएस 1.0	96785	3692.87
ईसीएलजीएस 1.0 विस्तार	1181	224.12
<b>कुल</b>	<b>103866</b>	<b>17288.72</b>

viii. 28 जून, 2021 को, सरकार ने कोविड-19 महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के संवर्धन और विकास तथा रोजगार के उपायों को गति प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। पैकेज में तीन व्यापक श्रेणियों में कुल 17 उपाय शामिल हैं, जिसमें 'महामारी से आर्थिक राहत, स्वास्थ्य और यात्रा एवं पर्यटन क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने पर विशेष ध्यान देने के साथ' और 'विकास एवं रोजगार के लिए प्रोत्साहन' शामिल हैं।

ix. पर्यटन मंत्रालय ने 'कोविड प्रभावित पर्यटन सेवा क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी योजना (एलजीएससीएटीएसएस)' शुरू की थी, जिसका उद्देश्य संकटग्रस्त पर्यटन क्षेत्र को उनकी देनदारियों का निर्वहन करने और इस योजना के तहत कोविड -19 महामारी के कारण प्रभावित अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने में मदद करने के लिए संपार्शिक मुक्त ऋण प्रदान करना है, पर्यटन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित टूर ऑपरेटर/ट्रैवल एजेंटों/परिवहन ऑपरेटरों द्वारा प्रत्येक को 10.00 लाख रुपये तक का संपार्शिक मुक्त ऋण और पर्यटन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित आरएलजी/आईआईटीजी और राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अनुमोदित पर्यटक गाइड प्रत्येक के द्वारा 1.00 लाख रुपये तक का लाभ प्राप्त किया जा सकता था। यह योजना 18 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से चल रही थी। योजना की वैधता को एक और वर्ष यानी

31 मार्च, 2023 तक या योजना के तहत 250.00 करोड़ रुपये की गारंटी जारी होने तक बढ़ा दी गई थी। लगभग 476 गारंटी जारी की गई थी, जिनकी राशि लगभग 6.82 करोड़ रुपये थी, जिनमें से 6.19 करोड़ रु. (लगभग) वितरित किए गए। संभावित अशोध्य ऋणों और योजना के निष्पादन के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) को लगभग 1.60 करोड़ रु. की राशि जारी जारी की गई थी।

- x. कोविड-19 के पश्चात पुनरुद्धार की तैयारी की दृष्टि से, मंत्रालय ने दिनांक 08.06.2020 को होटल, रेस्तरां, बीएंडबी/होम स्टे और पर्यटन सेवा प्रदाताओं के लिए कोविड सुरक्षा और स्वच्छता के लिए विस्तृत परिचालन दिशानिर्देश तैयार और जारी किए हैं ताकि व्यवसाय को सुचारू रूप से फिर से शुरू किया जा सके।
- xi. होटल, रेस्तरां, बी एंड बी और अन्य इकाइयों के सुरक्षित संचालन के लिए कोविड -19 और उससे आगे के संदर्भ में जारी दिशानिर्देशों/एसओपी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए “साथी” (आतिथ्य उद्योग के लिए आकलन, जागरूकता और प्रशिक्षण के लिए प्रणाली) नामक एक पहल विकसित की गई है।
- xii. पर्यटन उद्योग में हितधारकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हितधारकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बाजार विकास सहायता योजना (एमडीए) के दिशा-निर्देशों को योजना के दायरे और पहुंच को बढ़ाने के लिए संशोधित किया गया है, ताकि हितधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सके। ऑनलाइन प्रचार सहित अतिरिक्त प्रचार संबंधी कार्यकलापों को शामिल किया गया है और अनुमेय वित्तीय सहायता की सीमा को बढ़ाया गया है। विदेशी संवर्धन एवं प्रचार योजना के तहत विपणन विकास सहायता कार्यक्रम के दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है ताकि योजना के दायरे और पहुंच को बढ़ाया जा सके, जिससे पर्यटन उद्योग में हितधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सके।
- xiii. देश में अंतर्गामी पर्यटन को फिर से शुरू करने और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने संभावित पर्यटन बाजारों से विदेशी पर्यटकों को पहले 5 लाख वीजा मुफ्त में दिए हैं। यह घोषणा की गई थी कि पहले 5 लाख पर्यटक वीजा (निःशुल्क वीजा) जारी करने के दौरान प्रति पर्यटक केवल एक बार निःशुल्क वीजा का लाभ मिलेगा।
- xiv. कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति के परिणामस्वरूप पर्यटन मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से व्यवसाय की निर्बाध बहाली के लिए पर्यटन हितधारकों, होटलों और रेस्तरां को दिशानिर्देश/निर्देश जारी करता है।
- xv. गृह मंत्रालय ने अभी तक 171 देशों के विदेशी नागरिकों के लिए ई-ट्रिस्ट वीजा को बहाल किया है।

\*\*\*\*\*